राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: आदेश ::

क्रमांकः07/विविध/2024 दिनांक : 30.11.2024

इस न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 09/ई.वी./2023 दिनांक 16.11.2023 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में बुधवार दिनांक 25 दिसम्बर, 2024 से मंगलवार दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक शीतकालीन अवकाश (Winter Holidays) घोषित किया गया है, अतः समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे, परन्तु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समस्त न्यायालय राजपत्रित अवकाश तथा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर दिनांक 25 दिसम्बर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में खुले रहेंगे। उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एवं उक्त न्यायालयों के कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 8 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक 25 दिसम्बर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में पूरे सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक आवेदन पत्र जो सेशन न्यायालय के समक्ष पेश किये जावेंगे या लंबित हैं, उन्हें वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्हें भी जिला एवं सेशन न्यायाधीश उक्त प्रयोजनार्थ अधिकृत करें, सुनेंगे एवं निपटायेंगे।

शीतकालीन अवकाश की अवधि में विशिष्ट न्यायालय, एन.डी.पी.एस., सी.बी.आई केसेज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, पोक्सों एक्ट प्रकरण न्यायालय भी बंद रहेंगे, लेकिन इन विशिष्ट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण दिनांक 25 दिसम्बर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में कम से कम दो बार न्यायालयों में आवश्यक कार्य हेतु बैठेंगे।

अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय शीतकालीन अवकाश की अवधि में बंद रहेंगे। उक्त अवधि में जमानत एवं निरोध अवधि की अवधि अभिवृद्धि (रिमाण्ड) संबंधी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने के लिए, संबंधित सम्पूर्ण न्यायक्षेत्र /सेशन खण्ड के एक सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिस किसी को भी जिला एवं सेशन न्यायाधीश आदेश प्रदान करेंगे, उन्हें उक्त अवधि में संबंधित न्यायक्षेत्र/सेशन खण्ड का आवश्यक एवं दैनिक कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

आज्ञा से,

(चंचल मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

क्रमांकः सामान्य/XII/11/1990/ SC-I/1913 दिनांक : 30-11-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर राजस्थान को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।
5. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों को इस निर्देश के साथ कि अपने न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त अधीनस्थ न्यायालयों/विशिष्ट न्यायालयों को सूचित करावें।

30/11

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक : 03.12.2024

क्रमांक/स्था./2024/8862-8880

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को प्रेषित हैं :–

01. न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बांसवाड़ा।
02. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बांसवाड़ा।
03. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष पोक्सो न्यायालय, बांसवाड़ा।
04. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा/कुशलगढ़।
05. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा।
06. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा।
07. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बांसवाड़ा।
08. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़।
09. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटोल।
10. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागीदौरा।
11. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा/गढ़ी/बागीदौरा/आनन्दपुरी।
12. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा।
13. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तलवाड़ा/गढ़ी।
14. सिस्टम असिस्टेंट, जिला एवं सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा।

03/12/2024

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा (राज.)